न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री भगवत सिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी केरपुरा देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री प्रेमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी केरपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री भीमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी केरपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. मु. वन्दना कंवर बेवा भंवरसिंह राजपूत निवासी केरपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री फतहसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी केरपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री गोविन्दसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत निवासी केरपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ दिनांक 11–05–2016 प्रकरण संख्या 14/2016 वाद

————/————

1– श्री राजूसिंह रावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित

————/————

निर्णय **दिनांक 14–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश शुदा ग्राम केरपुरा के पक्षकारान की आराजीयात संख्या 5, 6 व 33 कूल किता–3 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा का सहमति से दिया है,

विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11–5–2016 को पारित की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23–6–2016 को अंतिम डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11–5–2016 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–5–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव वादी की गैर–मोजूदगी में तैयार किया गया तथा प्रार्थी अपीलान्ट के अधिवक्ता ने भी उसे सूचना नहीं दी। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रारम्भिक डिक्री सहमति से जारी की गई है तथा वह भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवारा किये जाने का आदेश दिनांक 11–5–2016 को जारी किया गया है। तद्नुसार सहमति आधार पर जारी डिक्री जिसमें वादी की सहमति थी तथा न्यायिक रूप से भी निर्णय औचित्यपूर्ण है। अतएव प्रथम दृष्टया 11–5–2016 के निर्णय के विरूद्ध वादी स्वयं की उपस्थिति में सहमति से जारी उक्त डिक्री के 1 वर्ष बाद प्रारम्भिक डिक्री की अपील स्पष्टतया बेरून मयाद है एवं इसी आधार पर अपील खारिज योग्य है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील के कन्टेन्ट अनुसार अपील अंतिम डिक्री दिनांक 23–6–2016 के विरूद्ध भी पेश की गई है, जिसमें भी वकील वादी अपीलान्ट की उपस्थिति में अंतिम डिक्री पारित की गई है। अंतिम डिक्री में विभाजन प्रस्ताव में सभी सह–खातेदारों को राजस्व रेकार्ड के हिस्से अनुसार भूमि दी गई है। वकील वादी की उपस्थिति में दिनांक 23–6–2016 को पारित अंतिम डिक्री की जानकारी वादी को नहीं होने का तथ्य मान्य नहीं है एवं डिक्री के करीब 11 माह बाद अपील पेश किये जाने के लिए कोई ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं दिये गये है। अतएव अंतिम डिक्री के विरूद्ध भी यह अपील बेरून मयाद है।

अपील बेरून मयाद होने के कारण अपील उपरोक्तानुसार खारिज योग्य है। प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट द्वारा यह कहीं नहीं बताया गया है, कि कोनसी भूमि का विभाजन कब्जे, मौके, मूल्य

व स्टेट्स से व नियमों के प्रतिकल किस प्रकार है। वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अंतिम डिक्री बिना आपत्ति पारित की गई है। तद्नुसार गुणावगुण आधार पर भी अपील पोषणीय नहीं है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सरहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11–5–2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23–6–2016 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री भगवतसिंह पिता भूरसिंह राजपूत बनाम **1– श्री प्रेमसिंह पिता भंवरसिंह**
निवासी केरपुरा तहसील देवगढ़ **राजपूत निवासी केरपुरा**
जिला राजसमन्द (राज0) **तहसील देवगढ़ जिला**
राजसमन्द व अन्य–4

अपील नं0 **28/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **रेलमगरा** ..... मुकाम मुर्क्खे.....**11**.....माह.....**05**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**14**..... माह .....**11**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री राजूसिंह रावत** **.....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**अनुपस्थित** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सरहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11–5–2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23–6–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**14**..... माह ...**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।